i!lUu nk'k]
सचिव

अर्द्ध शा.पत्र क्र.   /22/वि–9/आर.जी.एम./2002

फोन :(0755) 551459 (कार्या.)
775283 (निवास)
572367 (फैक्स)
ई–मेल : rgmwm@sancharnet.in
वेबसाईट : watermissionmp.com

xkeh.k fodkl foHkkx
foU/;kpy Hkou] f}rh; ry]
e-ii-] Hkksiky&462 004

भोपाल, दिनांक 04.12.2002

fo"k; %& ftyk Lrj ij lacf/kr bPNqd ftyks }kjk ikIr dh xbZ fo"k; fuiq.krk ds vk/kkj
ij Lor= :i ls vYikof/k O;kogkfjd izf'k{k.k l= vk;ksftr djus ds lcq/k eqA

विगत 08 वर्षों में जन सहभागिता आधारित जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम एवं पानी रोको अभियान के सतत् क्रियान्वयन से प्रदेश के हर एक जिले द्वारा किसी न किसी एक विषय में निपुणता तो प्राप्त कर ही ली गई है।

जमीनी तौर पर उक्त कार्यक्रमों से जुड़ी गतिविधियों का क्रियान्वयन करते समय प्राप्त विभिन्न अनुभवों के कारण किसी विषय के सैद्धांतिक पक्ष को व्यावहारिकता का जो पुट मिला है, उसकी वजह से संबंधित जिले के पास यह असाधारण क्षमता विशेष तौर पर और भी अधिक उपयुक्त तथा महत्वपूर्ण हो गई है, जिसे अन्य जिलों के साथ बाँटा जा सकता है।

गुना जिले द्वारा जैविक खेती से संबंधित प्रयोग, खण्डवा जिले में पानी रोकने एवं इकट्ठा करने की अभिनव विधियाँ एवं संरचनाएँ, शिवपुरी जिले द्वारा ग्राम स्तरीय वाटर बजटिंग की अवधारणा, झाबुआ एवं धार जिलों द्वारा जन सहभागिता प्राप्त करने हेतु की गईं अनोखी पहलें इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें संबंधित जिलों ने काफी अच्छी महारत हासिल की है।

अपने–अपने स्तर पर कई जिलों ने इन गतिविधियों को अन्य जिलों में भी फैलाने में अपना कुछ न कुछ योगदान अवश्य दिया है, जैसे कि गुना, खण्डवा, झाबुआ इत्यादि।

मेरा ऐसा मानना है, यदि प्रत्येक जिले द्वारा यह तय किया जाता है कि उसकी किस विषय में विशेष निपुणता है, जिसमें वह अन्य जिलों को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन दे सकता है, तो वह अपनी यह बहुमूल्य एवं उपयुक्त जानकारी तथा अनुभवों को अन्य जिलों के साथ शेयर कर सकता है। इससे अन्य जिले भी लाभान्वित होंगे तथा उसी विषय में वहीं विशेष निपुणता और अनुभव अपने बूते पर प्राप्त करने में प्रत्येक जिले का जो कीमती समय और क्षमता बर्बाद होगी, उससे भी बचा जा सकेगा।

जो व्यावहारिक अनुभव एवं जानकारी किसी जिले द्वारा गाढ़ी मेहनत से हासिल की गई है, वह किसी सामान्य प्रशिक्षण से कदापि नहीं मिल सकती। इस मायने में इस प्रकार के प्रशिक्षणों का अपना एक विशिष्ट स्थान एवं योगदान होगा। यदि आप इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण आयोजित करते हैं तो चाही गई सभी प्रकार की अन्य पूरक मदद एवं मार्गदर्शन मिशन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है।

राज्य शासन के सतत् प्रयासों से प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित जिला स्तरीय वरिष्ठ प्रशिक्षक भी अब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करा दिये गये हैं, वे भी जिला स्तर पर इस प्रकार के प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने में

अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप इस संबंध में अपने जिले की किसी स्वयं सेवी संस्था से भी जरूरत पड़ने पर आवश्यक सहयोग ले सकते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आपके जिले द्वारा किन गतिविधियों अथवा विषयों पर अल्पावधि के व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जा सकते हैं, उन्हें संलग्न प्रपत्र में अन्य जानकारी के साथ कृपया 15 जनवरी, 2003 तक मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आपकी सुविधा के लिये इस प्रकार के प्रशिक्षण हेतु संभावित विषयों की सूची भी संलग्न की गई है। लेकिन यह सूची सर्व–समावेशक नहीं है, और इसमें आप अपनी सुविधा और आवश्यकतानुसार अन्य विषय भी जोड़ सकते हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

प्रति,

श्रीमती / श्री
जिला कलेक्टर
जिला (म.प्र.)

¼ i;lUu nk'k½

पृ.क्र. / 22 / वि–9 / आर.जी.एम. / 2002 भोपाल, दिनांक 04.12.2002

प्रतिलिपि :–

01 समस्त संभाग आयुक्त,

02 समस्त जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

lpukFk ,o vko';d dk;okgh gr i f"krA

¼ i;lUu nk'k½
सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र. भोपाल

ftyk Lrj ij lcf/kr bPNd ftyk }kjk gkfly fo"k; fo'k"kKrk d vk/kkj ij Lor= :i l vYikof/k O;kogkfjd if'k{k.k l=k grq lHkkfor fo"k;k dh lph

- जलग्रहण क्षेत्र की अवधारणा तथा जन सहभागात्मक वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा प्रदेश में उसका क्रियान्वयन।
- जन सहभागात्मक क्रियाशैली, समुदाय एवं समूह संगठन, जन चेतना जागृति, कुशल एवं प्रभावी संवाद स्थापित करना।
- उपयोगकर्ता दल, स्व सहायता समूह एवं महिला बचत एवं साख समूहों का गठन तथा संचालन संबंधी प्रणाली निर्धारण, उनकी असरदार कार्य पद्धति तथा उन्हें सक्रिय और असरदार बनाने हेतु की गईं नई पहलें, इस संबंध में प्राप्त अनुभव तथा निर्धारित कार्यप्रणाली।
- सहभागी ग्रामीण विश्लेषण (पी.आर.ए.) पद्धति से कार्य योजना बनाना।
- ग्राम स्तर पर विभिन्न जल स्त्रोतों की एकत्रित जानकारी के आधार पर ग्रामीण पानी की माँग और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक वाटर बजटिंग तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का आकलन।
- सतही एवं भूजल स्त्रोतों का ग्रामीण स्तर पर जन सहभागिता पर आधारित साझा एवं बेहतर प्रबंध।
- जमीन की किस्म के अनुसार विभिन्न उपयोग और भू–संसाधन का बेहतर साझा प्रबंधन। मिट्टी का परीक्षण तथा उसका फॉलो–अप एवं इस संबंध में जन सहभागिता और जन चेतना जागृति।
- निरख–परख गतिविधि का संचालन।
- मिट्टी एवं पानी के संवर्धन, संरक्षण व संचयन के लिये वाटरशेड की अवधारणानुसार ऊपरी/मध्य/निचले क्षेत्र में साझा एवं शासकीय तथा निजी भूमि पर आवश्यक विभिन्न संरचनाएँ एवं गतिविधियाँ ।
- रिहायशी क्षेत्र में बरसात का पानी रोकने एवं खेतों में ^^[kn dj n[k **(Do-It-Yourself)"** पद्धति से पानी तथा मिट्टी का कटाव रोकने के विभिन्न ^^Lo&LFkku **(In-situ)"** तरीके।
- बोरी बाँध, गेबियन संरचना, कन्टूर ट्रेंच जैसी सरल, किफायती एवं लोकप्रिय संरचनाओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी।
- जैविक खेती से संबंधित विभिन्न विषय।
- स्थानीय परिस्थिति तथा जलवायु के अनुकूल घाँस की विभिन्न किस्में, उनका चयन तथा अन्य संबंधित गतिविधियाँ ।
- बाँस, आँवला, महुआ जैसी वनोपज से संबंधित विभिन्न ली जाने वाली गतिविधियाँ ।
- बंजर भूमि पर स्थानीय परिस्थिति तथा जलवायु के अनुकूल वृक्षारोपण हेतु ली जाने वाली किस्में एवं अन्य संबंधित गतिविधियाँ ।
- स्व सहायता समूहों द्वारा जलग्रहण क्षेत्र में नर्सरी स्थापना एवं उसका संचालन और रखरखाव।
- जन सहभागिता आधारित वाटरशेड कार्यक्रम में लेखा से संबंधित आवश्यक अभिलेखों का संधारण।

- वाटरशेड में बागवानी, फलोद्यान, सब्जी उत्पादन, फूल एवं औषधीय पौधों की खेती और उत्पादन, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, सुअर एवं बकरी पालन, पोल्ट्री तथा बतख एवं अन्य तत्सम पक्षियों का पालन, शहद उत्पादन जैसी आयमूलक सामुहिक गतिविधियों का फायदेमंद तथा असरदार संचालन।

- स्व सहायता समूहों के लिये स्थानीय परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप लाभकारी गतिविधियों का चयन एवं उनके इर्द–गिर्द समूह संगठन।

- महिला बचत एवं साख समूहों को अधिक सशक्त, असरदार और स्थायी बनाना तथा उन्हें अन्य योजनाओं से जोड़ना।

- वाटरशेड क्षेत्र में जन सहभागिता से लिफ्ट इरीगेशन की छोटी योजनाओं का नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन एवं रख–रखाव।

- खेती करने की आधुनिक प्रगत वैज्ञानिक तकनीकें

i:f'k{k.k gsr| i:Lrkfor fo"k; dh tkudkjh d: lkFk vfrfjDr vU; tkudkjh nu: gsr| fu/kkfjr i:i= dk i:k:i %

- जिले के नाम :
- प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित विषय :
- प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं स्थान :
- प्रशिक्षण की प्रस्तावित अवधि :
- प्रस्तावित प्रशिक्षण हेतु जिले में उपलब्ध सुविधायें एवं कौशल्य :
- विषयवार प्रशिक्षकों की उपलब्धता :
- प्रशिक्षुकों के लिये प्रस्तावित / जिले में उपलब्ध सुविधायें : (1. ठहरने की व्यवस्था, 2. भोजन की व्यवस्था, 3. परिवहन की व्यवस्था, 4. आवागमन की व्यवस्था)
- प्रशिक्षुकों की अधिकतम अपेक्षित संख्या :
- प्रशिक्षुकों का न्यूनतम कौशल स्तर :
- प्रशिक्षण की प्रस्तावित लागत का अनुमान :
- निर्धारित प्रति प्रशिक्षु शुल्क :
- मिशन मुख्यालय से वांछित सुविधा :

  Ñi;k mDr i:i= d: lkFk fuEu tkudkjh Hkh vyx l: n: %

  - ➢ प्रस्तावित प्रशिक्षण से संबंधित संक्षिप्त टीप
  - ➢ प्रस्तावित प्रशिक्षण की निर्धारित समय–सारिणी
  - ➢ प्रस्तावित प्रशिक्षण हेतु बनाया गया प्राक्कलन